भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 73

(जिसका उत्तर सोमवार, 03 फरवरी, 2020/14 माघ, 1941 (शक) को दिया जाना है)

सबका विश्वास-विरासत विवाद समाधान योजना

†73. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

श्री बिद्युत बरन महतोः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री रघु राम कृष्ण राजूः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री गजानन कीर्तिकरः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने करदाताओं के लिए 'सबका विश्वास'-विरासत विवाद समाधान नाम की योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा वर्तमान में इस योजना की स्थिति क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत आने वाले विवादों और मामलों का ब्यौरा क्या है तथा इस योजना को लागू करने से उपलब्ध उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बड़े करदाता उक्त योजना से दूर भाग रहे हैं, जबकि अधिकांश छोटे योग्य करदाताओं ने इस योजना का लाभ उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस योजना के प्रति बड़े करदाताओं को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार ने कुछ पक्षों के लिए इस योजना में विस्तार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ङ): जी हां, विवाद-समाधान और सर्वक्षमा इस योजना के दो घटक हैं। विवाद-समाधान का उद्देश्य मुकदमेबाजी में फंसे हुए मामलों का निपटारा करना है जबकि सर्वक्षमा का उद्देश्य कर न जमा करने वालों को कर के दायरे में ले आना है ताकि वे स्वैच्छिक घोषणा करके अपने कर को जमा कर सकें।

विवाद-समाधान (कानूनी मामले)				सर्वक्षमा मामले (स्वैच्छिक प्रकटीकरण के मामले)	
अपेक्षित मामले		प्राप्त आवेदन		प्राप्त आवेदन	
सं.	राशि (करोड़ में)	सं.	राशि (करोड़ में)	सं.	राशि (करोड़ में)
182515	364791	161824	87828	27391	1995

जैसा कि देखा जा सकता है कि अधिकांश यथोचित मामले (कानूनी मामले) इस स्कीम के तहत आते हैं। बड़े मामलों समेत शेष बचे हुए मामलों को इस स्कीम में लाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समयावधि 31.12.2019 से 15 दिन बढ़ा कर 15.01.2020 तक कर दिया गया था। आगे, सरकार द्वारा जागरूकता बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम एवं यथोचित मीडिया अभियान चलाए जा रहे हैं।

*****